स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय
नीदरलैंड किंगडम की सरकार
तथा
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
भारतीय गणतंत्र की सरकार
के बीच
खेल अवसंरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग
पर
समझौता ज्ञापन

स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय, नीदरलैंड किंगडम की सरकार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय गणतंत्र की सरकार ने (इसमें आगे इन्हें "पक्षों" के रूप में उल्लिखित किया गया है):

दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ-बूझ के विकास के एक माध्यम और कड़ी के रूप में खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए,

यह स्मरण करते हुए कि भारत की आगामी विश्व खेल प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी करने की उच्चाकांक्षा है,

इस बात के महत्व को समझते हुए कि भारत का उद्देश्य खेल, वाणिज्य, संस्कृति, शिक्षा तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए खेल अवसंरचना का विकास करके अपनी स्थायी विरासत का सृजन करना है,

इस बात पर बल देते हुए कि भारत की उच्चाकांक्षा अभिनव और स्थायी संकल्पनाओं का सृजन करना है,

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नीदरलैंड में अन्य क्षेत्रों सहित खेल उत्कृष्टता, नगर योजना एवं अवसंरचना, परिवहन एवं संभारतंत्र, स्टेडियम एवं वास्तुकला और जन सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन में अभिनव और स्थायी संकल्पनाएं प्रदान करने वाले कई अनुभवी सरकारी और प्राइवेट संगठन हैं,

इस बात को स्वीकार करते हुए कि भारत अपनी खेल अवसंरचना के विकास और नवीनीकरण के लिए अन्य देशों के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है,

निम्नलिखित समझौता किया है:-

अनुच्छेद 1: उद्देश्य और सिद्धान्त

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

अनुच्छेद 2: कार्यकारी निकाय

इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कार्यकारी निकाय होंगे:

(क) भारतीय पक्ष से : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(ख) नीदरलैंड पक्ष से : स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय

अनुच्छेद 3: सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहयोग के मुख्य क्षेत्र होंगे:

(क) निम्नलिखित क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान :

- खेल प्रबंधन (खेल प्रतियोगिताएं)
- प्रतियोगिता अवसंरचना व्यवस्था
- विभिन्न खेल विधाओं के लिए कोचिंग, प्रशिक्षण व्यवस्था, रेफरियों का प्रशिक्षण
- युवा अकादमियों के माध्यम से मुख्य खेलों का विकास

(ख) अभिनव खेल अवसंरचना का विकास और प्रबंधन जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- वित्तीय विकास
- स्थानिक क्षेत्र विकास
- खेल अवसंरचना की योजना और सुविधाएं
- खेल अवसंरचना का अभिकल्पन और सुविधाएं
- संसाधनों आदि का उपयोग
- प्रबंधन प्रशिक्षण
- सुरक्षा और संरक्षा

(ग) सहयोग के क्षेत्र में त्वरित कार्यनिष्पादन के अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट परियोजनाएं सम्मिलित होंगी :

- दिल्ली में एक मुख्य स्टेडियम के आस-पास क्षेत्र विकास और संसाधन उपयोग की संभावनाओं पर व्यावहारिक अध्ययन या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ।

- खेल सुविधाओं की राष्ट्रव्यापी पहुंच बढ़ाने और इसके लिए एक पायलट यूनिट शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सुसज्जित इंडोर खेल यूनिटों के विकास और प्रबंधन पर व्यावहारिक अध्ययन ।

अनुच्छेद 4: सहयोग के तरीके

दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे और इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से जुड़े सरकारी और प्राइवेट संगठनों, संस्थानों और वैयक्तिक संगठनों के बीच उनसे संबंधित देशों में सहयोग और भागीदारी के विकास को भी बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 5: कार्यान्वयन

(क) दोनों पक्ष या उनके प्रतिनिधि सहयोग की प्रगति, विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यों और कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक करने का प्रयास करेंगे।

(ख) दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के उपबंधों के कार्यान्वयन में विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संस्थानों की भागीदारी पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय करेंगे।

(ग) दोनों पक्ष उनके द्वारा लिखित में सहमति की शर्तों पर सहयोग के क्षेत्र का दायरा बढ़ा सकते हैं।

(घ) दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत का वहन करने के लिए मामला दर मामला आधार पर निर्णय करेंगे।

(ड.) दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने, दायरा बढ़ाने और प्रगाढ़ करने के लिए अपने-अपने देशों में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य करेंगे।

(च) दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों के संबंध में अपने-अपने कार्यक्रमों और इस सबंध में हुई प्रगति के बारे में एक दूसरे को पूरी जानकारी देंगे।

अनुच्छेद 6: प्रभाव में आना, नवीनीकरण और पर्यावसान, संशोधन और विवाद समाधान

(क) यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर की तारीख से प्रभाव में आएगा ।

(ख) यह समझौता ज्ञापन पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा और उसके बाद अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वतः ही नवीनीकृत हो जाएगा, बशर्ते कि इसे किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय कम से कम एक महीना पहले लिखित में नोटिस देकर समाप्त न किया जाए।

(ग) यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों की परस्पर लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है। ये संशोधन उस तारीख, जो दोनों पक्षों द्वारा निश्चित की जाए, से प्रभाव में आएंगे और इस समझौता ज्ञापन के अभिन्न भाग होंगे ।

(घ) दोनों पक्षों के बीच इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को परामर्श और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

संबंधित सरकारों द्वारा इसके साक्षी के रूप में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में दिनांक 30 जनवरी, 2014 को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक में मूल पाठों में हस्ताक्षरित। दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक । इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या के संबंध में कोई भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्रालय

नीदरलैंड किंगडम की सरकार के लिए

नामः सुश्री एडिथ आई. सिपर्स

पदनाम :स्वास्थ्य, कल्याण और खेलमंत्री

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

भारतीय गणतंत्र सरकार के लिए

नामः जितेन्द्र सिंह

पदनाम : युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)